भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *239

उत्तर देने की तारीख : 22.12.2022

एमएसएमई क्षेत्र का जीडीपी में योगदान

***239 श्री राहुल रमेश शेवाले :**
श्री भोला सिंह :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एक-तिहाई का योगदान करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय एमएसएमई के अस्तित्व को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार लिंकेज को प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक एमएसएमई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एमएसएमई क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को दोगुना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अर्थव्यवस्था में योगदान को दोगुना करने की दिशा में अनेक आंतरिक बाधाएं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) से (ङ) : वक्तव्य का विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

<u>लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *239, जिसका उत्तर दिनांक 22.12.2022 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित विवरण</u>

(क) : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय सकल जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का योगदान 26.83% था।

(ख) : कंफ़डरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री (सीआईआई), नई दिल्ली ने दिनांक 30 नवम्बर, 2022 को नई दिल्ली में "इंडिया@100 विद फ्यूचर रेडी एमएसएमई" की थीम के साथ ग्लोबल एमएसएमई बिजनेस समिट के 19वें संस्करण का आयोजन किया, जिसमें एमएसएमई मंत्रालय ने लोगो सहायता प्रदान की।

(ग) से (ङ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय क्रेडिट सहायता, प्रौद्योगिकी सहायता, अवसंरचना विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण एवं एमएसएमई को सहायता के क्षेत्र में देश भर में एमएसएमई की वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट ग़ारंटी योजना (सीजीटीएमएसई) और नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए योजना शामिल हैं।

सरकार ने देश में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में कई पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातो के साथ-साथ शामिल हैं;

(i) एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ।

(ii) एमएसएमई आत्म-निर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।

(iii) एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।

(iv) 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा नहीं होगी।

(v) व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण"।

(vi) एमएसएमई की शिकायत निवारणऔर सहायता प्रदान करने सहित ई-गर्वनेंस के कई पहलुओं को शामिल करते हुए जून, 2020 में "चैंपियंस" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत।

(vii) 02 जुलाई, 2021 से प्रभावी खुदरा और थोक व्यापारों को एमएसएमई के रूप में समावेशन।

(viii) एमएसएमई की स्थिति में स्तरोन्नयन परिवर्तन के मामले में 3 वर्षों का गैर-कर लाभ का विस्तार करना।

दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पोर्टल की शुरुआत से दिनांक 18.12.2022 तक 1.27 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हुए हैं।

****